



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1213

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 3913 वर्ष 2025

सुभाष पाल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अभिषेक शुक्ला

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, निजी पक्षकार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रवींद्र कुमार यादव, जिन्हें इस जनहित याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री टी.पी. गुप्ता, तथा प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।

2. प्रस्तुत याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दाखिल की गई है :-

“(ए) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे ग्राम धामपुर, तहसील सदर, जनपद जौनपुर स्थित गाटा संख्या 428 की भूमि पर पड़े समस्त सड़े-गले खाद, गोबर, कूड़ा-करकट एवं अपशिष्ट को तत्काल हटवाएं।

(बी) एक अन्य रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए, जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त स्थल की सफाई, कीटाणुशोधन तथा उसे ग्राम समाज की भूमि के रूप में उसके वैध सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रतिवादियों की देखरेख में पुनर्स्थापित किया जाए, तथा भविष्य में किसी भी प्रकार का अवैध कूड़ा-करकट डालना न होने दिया जाए।

(सी) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता के दिनांक 09.10.2025 के प्रत्यावेदन का निर्णय करें।”

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि गाटा संख्या 428 राजस्व अभिलेखों में 'ऊसर' के रूप में दर्ज है; अतः पक्षकारों को गाटा संख्या 428 से सड़ी-गली खाद, गोबर आदि हटाए जाने हेतु उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं।
4. राज्य तथा ग्राम सभा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत लोकहित याचिका में की गई प्रार्थना के संबंध में यह लोकहित याचिका विचारणीय नहीं है। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि विवादित भूखण्ड पर कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है; अतः प्रस्तुत लोकहित याचिका निरस्त की जानी चाहिए।
5. निजी पक्षकार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार यादव, जिन्हें प्रस्तुत लोकहित याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है, ने यह प्रदर्शित करने हेतु कि प्रस्तुत लोकहित याचिका विचारणीय नहीं है, इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा रिट-सी संख्या 35270 सन् 2023 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2023 तथा दीवानी वाद संख्या 910 सन् 1992 में प्रवर्तित निषेधाज्ञा आदेश न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्य के विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही भी इस उद्देश्य से प्रस्तुत की कि यह दर्शाया जा सके कि प्रस्तुत लोकहित याचिका वास्तविक जनहित में दाखिल नहीं की गई है।
6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।
7. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि गाटा संख्या 428 राजस्व अभिलेखों में 'ऊसर' के रूप में दर्ज है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. अभिलेखों से स्पष्ट है कि विवादित भूखण्ड पर कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है।
9. उपर्युक्त तथ्यों एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गाटा संख्या 428 से सड़ी-गली खाद, गोबर आदि हटाए जाने के संबंध में प्रस्तुत लोकहित याचिका में की गई प्रार्थना पर इस न्यायालय द्वारा लोकहित याचिका के माध्यम से विचार नहीं किया जा सकता।
10. तदनुसार, प्रस्तुत लोकहित याचिका निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 6, 2026

रमीज़

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।